A052-20222023-001-1695332

संख्या-42/2023/334/52-1-2023

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2023**

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री जन विकास परियोजनाओं की द्वितीय किश्त राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-4572/अ0सं0क0नि0/ पी0एम0जे0वी0के0/धन मॉग-(330/3)/2022, दिनांक 13.01.2023 एवं पत्र सं0-5279/अ0सं0क0नि0/ पी0एम0जे0वी0के0/धन मॉग-(330/3)/2022, दिनांक 23.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद प्रतापगढ के शिवगढ में राजकीय पालिटेक्निक तथा जनपद-जौनपुर के सिद्दीकपुर में 06 नये ट्रेड सहित राजकीय महिला आई0टी0आई0 की द्वितीय किश्त (प्रथम किश्त का अवशेष) तथा जनपद गाजीपुर व पीलीभीत में पाइप पेयजल परियोजना एवं जनपद बाराबंकी के फतेहपुर में राजकीय आई0टी0आई0 में परीक्षा हाल एवं मल्टीपरपज हाल परियोजना की द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि निम्न तालिका के कॉलम-4 में अंकित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 व दिनांक द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि तालिका के कॉलम-10 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा कालम-5 में अंकित कार्यदायी संस्था के पक्ष में अवमुक्त की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 एवं 04.11.2022 के प्रस्तर-2(10)(ख)(स) में दी गयी गयी व्यवस्थानुसार निम्न तालिका के क्रमांक-1 व 2 पर अंकित परियोजनाओं की 25 प्रतिशत द्वितीय किश्त (प्रथम किश्त का अवशेष) राज्यांश बजट की उपलब्धता के अनुसार तथा शेष प्ररियोजनाओं की 50 प्रतिशत द्वितीय किश्त राज्यांश की सम्मिलित धनराशि **रू0 507.657 लाख (रूपये पॉच करोड़ सात लाख पैसठ**

http://shasanadesh.up.gov.in

हजार सात सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के संगत लेखाशीर्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत तथा पुनर्विनियोग **(संलग्न बी0एम0-9)** द्वारा व्यवस्थित धनराशि से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	भा0स0 का पत्र सं0 व दिनांक	कार्यदायी संस्था का नाम	इकाई	कुल अनुमोदित लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित द्वितीय किश्त		प्रस्तावित अवमुक्त कुल धनराशि	प्राविधान के सापेक्ष उपलब्ध बजट +पुनर्विनियोग सहित उपलब्ध कुल धनराशि	लेखाशीर्षक
										केन्द्रांश	राज्यांश			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	प्रतापगढ	शिवगढ़ में राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण	13/21/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0 दि0 15.02.2019 द्वारा अवमुक्त **प्रथम किश्त का अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में**	पैकफेड	01	2511.00	1506.60	1004.40	के0-279.00 13/2019/369/52-01-2019-08(पी0एम0 जे0वी0के0)/19 दिनांक 08.03.2019 के0-97.65 रा0-251.10 40/2021/589/52-01-2021-08(पी0एम0जे0वी0के0)/19 टी0सी0-2 दिनांक 19.03.2021	0.00	221.51	221.51	221.51	4235-02-800-89-8911
2	जौनपुर	राजकीय महिला आई0टी0आई0 सिद्दीकपुर का निर्माण एवं नये 06 ट्रेड हेतु उपकरण	13/22/2021-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0 दि0 10.06.2022 द्वारा **प्रथम किश्त का अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में**	यू0पी0 आर0 एन0 एस0 एस0	01	1178.86	707.316	471.544	के0-176.829 रा0-117.886 38/2022/727/52-01-2022-12(पी0एम0जे0वी0के0)/ 2022 दिनांक 17.08.2022 के0-176.829 34/2023/223/52-01-2023-168608 1 दिनांक 15.02.2023	0.00	114.477	114.477	131.577	4235-02-800-89-8905

http://shasanadesh.up.gov.in

3	गाजीपुर	गाजीपुर के भदौरा के खजुरी में पाइप पेयजल योजना	**प्रथम किश्त** 13/33/2019-एम0 एस0डी0पी0-एम0 ओ0एम0ए0 दि0 20.03.2019 **भारत सरकार से अप्राप्त द्वितीय किश्त**	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	01	237.350	118.675	118.675	के0-59.3375 रा0-59.3375 38/2019/970/52-01 -2019-12(पी0एम0जे 0वी0के0)/ 2019 दिनांक 04.09.2019	0.00	59.3375	59.3375	181.146	4235-02-800-89-8917
4	गाजीपुर	गाजीपुर के भदौरा के सिहानी में पाइप पेयजल योजना	**प्रथम किश्त** 13/33/2019-एम0 एस0डी0पी0-एम0 ओ0एम0ए0 दि0 20.03.2019 **भारत सरकार से अप्राप्त द्वितीय किश्त**	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	01	163.80	81.90	81.90	के0-40.95 रा0-40.95 38/2019/970/52-01 -2019-12(पी0एम0जे 0वी0के0)/ 2019 दिनांक 04.09.2019	0.00	40.95	40.95	181.146	4235-02-800-89-8917
5	पीलीभीत	पीलीभीत के विकास खण्ड अमरिया के उदयपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	**प्रथम किश्त** 13/427/2017-एम 0एस0डी0पी0-एम 0ओ0एम0ए0 दि0 26.03.2018 **भारत सरकार से अप्राप्त द्वितीय किश्त**	उ0प्र0 जल निगम	01	217.13	108.565	108.565	के0-176.829 रा0-117.886 17/2018/पी0-28/52-04-2018-पी0-22(एम 0एस0डी0पी0)/ 2018 दिनांक 30.03.2018	0.00	54.2825	54.2825	181.146	4235-02-800-89-8917
6	बाराबंकी	बाराबंकी के फतेहपुर में स्वीकृत राजकीय आई0टी0आई0 में परीक्षा हाल एवं मल्टीपरपज हाल	**प्रथम किश्त** 13/69/2019-एम0 एस0डी0पी0-एम0 ओ0एम0ए0 दि0 29.11.2019 **भारत सरकार से अप्राप्त द्वितीय किश्त**	यू0पी0 सिडको	01	85.50	51.30	34.20	के0-25.65 रा0-17.10 27/2020/137/52-01 -2020-07(पी0एम0जे 0वी0के0)/ 2020 दिनांक 06. 03.2020 रा0-8.55 समर्पित धनराशि रा0-8.55 34/2022/652/52-01 -2022-07(पी0एम0जे 0वी0के0)/ 2020 दिनांक 29.07.2022	0.00	17.10	17.10	131.577	4235-02-800-89-8905
				योग						0.00	507.657	**507.657**		

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022, 04.11.2022 एवं 10.11.2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्दांश अवमुक्त है।

(3)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(4)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(5)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **उपरोक्त तालिका के कॉलम-5 में उल्लिखित कार्यदायी संस्था** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा। भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।

(10) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12) **उपरोक्त तालिका में अंकित परियोजनाओं की प्रथम किश्त की स्वीकृति विषयक शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जायेगा।**

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(14) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(15) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेग।

(16) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगा।

(17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(18) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(19) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(20) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(21) योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

(22)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश **दिनांक 07.06.2022** एवं **04.11.2022** में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।

(23)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(24)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(25)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं-कॉलम-15 में उल्लिाखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय **संख्या–E-4-501-X-2022-23, दिनांक: 13.03.2023** में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-बी0एम0-9 प्रपत्र (छायाप्रति)

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-334(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सम्बन्धित विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. उपरोक्त तालिका के कॉलम-5 में अंकित कार्यदायी संस्था के निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण कार्य समयान्तर्गत/गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. निदेशक, परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in